

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: CCE/ACAD/PDP/2019/ 15-21

दिनांक: 15.04.2019

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय:- ऑफ लाईन ई-कन्टेंट तैयार करवाने हेतु।

आयुक्तालय के पत्र क्रमांक CCE/ACAD/PDP/2019/8-14 दिनांक 12.04.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए उन सभी संकाय सदस्यों, जो हाल में हुए स्थानांतरण से प्रभावित है परंतु उपरोक्त वर्णित पत्र में जिनके नाम के सम्मुख पूर्व महाविद्यालय का नाम ही अंकित हो गया है, को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके नाम के सम्मुख अंकित टॉपिक पर ही अपना लेख लिखकर हाल में पदस्थापित महाविद्यालय के माध्यम से ही आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित करें।


  
(प्रदीप कुमार बोरड़ )  
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं  
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: CCE/ACAD/PDP/2019/ 15-21

दिनांक: 15.04.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, (एचआरडी, अकादमी, रूसा, प्रशासन, आयोजना, निजी संस्था) आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. क्षेत्रीय सहायक निदेशक, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर को संबंधित महाविद्यालयों के साथ क्रियान्विति हेतु समन्वय के लिए।
4. समस्त प्रभारी अधिकारीगण कॉलेज समूह, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान को संबंधित महाविद्यालयों के साथ क्रियान्विति हेतु समन्वय के लिए।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर। कृपया आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।